भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2346

03.08.2026 को उत्तर के लिए

कोयला/कोक की हैंडलिंग को पर्यावरण स्वीकृति

2346 **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के भीतर स्थित किसी मौजूदा बड़े पत्तन के हिस्से के रूप में मूरिंग डॉल्फिन पर कोयले/कोक की हैंडलिंग के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी मौजूदा पत्तन के भीतर किसी नए बर्थ, जेटी, मूरिंग डॉल्फिन या इसी तरह की सुविधा पर कार्गो हैंडलिंग संचालन शुरू करने के लिए भी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति आवश्यक है, भले ही पत्तन के पास अन्य सुविधाओं के लिए पर्यावरण स्वीकृति पहले से ही हो, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से मोर्मुगाओ पत्तन प्राधिकरण, गोवा के मूरिंग डॉल्फिन पर कोयले/कोक की हैंडलिंग की अनुमति देने के लिए कोई पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार का संचालन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और ईआईए अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन होगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 जारी की है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के अनुसार, भारत के किसी भी भाग में नई परियोजनाओं या कार्यकलापों का निर्माण या इस अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध मौजूदा परियोजनाओं या कार्यकलार्पो का विस्तार या आधुनिकीकरण जिसमें प्रक्रिया और/या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन के साथ क्षमता वृद्धि शामिल है, केंद्रीय सरकार से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी अथवा केंद्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत विधिवत गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण द्वारा जैसा भी मामला हो, ईआईए अधिसूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया

के अनुसार किया जाएगा। जहां तक पर्यावरणीय दृष्टिकोण से किसी परियोजना के मूल्यांकन का संबंध है, पर्यावरणीय प्रभावों और जोखिम का पूर्व मूल्यांकन पर्यावरण मंजूरी देने का आधार होता है। इस परियोजना का स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) द्वारा कठोरता से मूल्यांकन किया जाता है, जो इसके घटकों, कार्गो के प्रकार और क्षमता, बर्थ क्षमता और हैंडलिंग सुविधाओं, पर्यावरणीय प्रभावों, जोखिम मूल्यांकन और शमन उपायों की जांच करती है, और अतिरिक्त परियोजना-विशिष्ट शर्तों को निर्धारित कर सकती है। ईएसी की सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विशिष्ट और सामान्य नियमों तथा शर्तों के अधीन पर्यावरणीय मंजूरी को प्रदान करता है। ईआईए अधिसूचना, 2006 के उपबंधों के उल्लंघन करके कोई भी परियोजना या किए गए कार्यकलापों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंड का प्रावधान है।

परियोजनाओं या कार्यकलापों का संचालन जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। तदनुसार, कोई भी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) या प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी), जो भी लागू हो, से वैध संचालन की सहमति (सीटीओ) लिए बिना आरंभ या संचालन जारी नहीं रखेगी।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी, गोवा के पक्ष में निम्नलिखित पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी प्रदान की है

(i) दिनांक 11.01.2023 के माध्यम से कोयला और कोयला उत्पादों, लौह अयस्क और चूना पत्थर सहित इकाईबद्ध और इस्पात उत्पादों के लिए बर्थ 5ए-6ए पर टर्मिनल क्षमता वृद्धि ।

(ii) दिनांक 06.07.2023 के पत्र के माध्यम से बर्ज बर्थ और बर्थ 8, 9 का पुनर्विकास।

(iii) दिनांक 21.07.2025 पत्र के माध्यम से कैपसाइज जहाजों के आवागमन हेतु प्रवेश चैनल को गहरा करना।

मोरमुगाओ पोर्ट प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने मूरिंग डॉल्फिन 1, 2 और 3 पर ड्राई बल्क कार्गो, ब्रेक बल्क कार्गो, कोयला और कोक सहित कार्गो की विभिन्न श्रेणियों को संभालने के लिए गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त की है। हालांकि, मूरिंग डॉल्फिन 4, 5 और 6 के संबंध में गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन के लिए कोई सहमति जारी नहीं की गई है, और तदनुसार, ये सुविधाएं अप्रयुक्त हैं।
